न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–2,बूंदी
सेशन प्रकरण संख्या–72/2017

सरकार/छोटूलाल वगै.

18.02.2026	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त छोटूलाल व मुकेश अनुपस्थित का प्रार्थना पत्र हाजिरी माफी पेश हुआ जो जरिये वकील आज के लिए स्वीकार किया जाता है। थाना सदर से कानि. महादेव 118 अभियुक्त मेहबूब उर्फ भूरा का गिरफ्तारी वारंट अदम लेकर उपस्थित आया । महादेव के बयान मफरूरी सी डब्ल्यु–1 लेखबद्व किये गये । उक्त बयान के आधार पर अभियुक्त मेहबूब उर्फ भूरा पुत्र अय्यूब मंसूरी निवासी मकान नम्बर 82 वार्ड नं. 34 मस्जिद के पास मदारपुरा थाना कोतवाली जिला मंदसौर का निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त मेहबूब उर्फ भूरा को मफरूर घोषित किया जाता है। उसको स्थाई गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जावे तथा संबंधित थाना से स्थाई गिरफ्तारी वारंट के आमद नम्बर तलब हो। मुलजिम मेहबूब के विरूद्व कार्यवाही धारा 82–83 सी आर पी सी (धारा 84–85 बी.एन.एस.एस.) पृथक से खोली जावे । पत्रावली वास्ते साक्ष्य सफाई दिनांक 24.02.2026 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-2, बून्दी (राज0)